संख्या-9/3460/12-3-2013-100(46)/2010टी.सी.-।।

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुंपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 27 नवम्बर, 2013**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-267/रा.कृ.वि.यो./लेखा-15/13-14, दिनांक 19.6.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग की निम्न परियोजना हेतु धनराशि रू0-7680 हजार (रू0 छिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र. सं.	योजना का नाम	एस.एल.एस. सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	Rsecources for 192 new veterinary hospitals	31.5.2013	29568	7680

(रू**0** छिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र**)**

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा निम्न शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

(1)- उक्त योजनान्तर्गत क्रय की जाने वाली मशीनरी/उपकरण/संयंत्र के क्रय में भारत सरकार की गाइड लाइन्स व शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(2)- क्रय की जा रही मशीनों/उपकरणों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब क्रय की जा रही वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक व विशिष्टयों के अनुरूप हो।

(3)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं होगी तथा क्रय के लिए पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- क्रय की जा रही वस्तु की गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता के पक्ष में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा शासन के प्रचलित आदेशों से भुगतान करने के लिए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक या पी.एल.ए. में नही रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा तथा इंगित मशीन/उपकरण क्रय करने के बाद अवशेष बची धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

(6)- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय के लिए आवश्यकता का सम्यक् पूर्वानुमान कर लिया गया है तथा आवश्यकता से अधिक परिमाण में क्रय नही किया जायेगा।

(7)- उपर्युक्त शर्तो एवं नियमों का उल्लघंन होने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व निदेशक पशुपालन विभाग का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय। उपर्युक्त तालिका में अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा। उक्त धनराशि से 192 नये पशुचिकित्सालयों के लिए प्रति चिकित्सालय निम्नांकित उपकरण उनके सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित अनुमानित मूल्य के अनुसार क्रय किये जायेगे:-

(धनराशि रूपये में)

SL.No.	Name of item	Unit Pack	Tentative Rate
1	Autoclave Vertiacal Electric (Portable)	Each	7500.00
2	Autoclave Vertiacal Non Electric (Portable)	Each	5000.00
3	Binocular Microscope	Each	6500.00
4	California Mastits Test Kit	Each set	250.00
5	Cheatel Forceps	Each	60.00
6	Clipping scissors	Each	39.90
7	Endotracheal tubes	Each	90.00
		Each	90.00
		Each	92.00
		Each	94.00
8	Foot Operated waste bin	Each	800.00
9	Gerlach/Buhner Vulva suture instrument	Each	47.10
10	Haemostate Curved S.S	Each	33.90
11	Teat Instrument Set	Each Set	350.00
12	Tooth rasp	Each	91.00
13	Urinary catheters	Each	29.00
14	Disposable A.I. Gloves	pack of 100	153.00
15	Dystocea Set	Each Set	800.00
16	Post-Mortem Set	Each Set	800.00
17	Castrator large 47.5 cm	Each	6500.00

http://shasanadesh.up.nic.in

18	Record syringe Standard	Each	40.00
19	Record syringe Standard	Each	80.00
20	Disposable syringe I.P. with needle	Each	30.00
21	Stethoscope Flat chest piece	Each	190.00
22	Iron Bucket (GI)	Each	150.00
23	Gumboot assorted Size	Each pair	200.00
24	Kidney Tray S.S.	Each	40.00
25	EI Tray	Each	350.00
26	EI Tray	Each	250.00
27	Douch Can E.I.	Each Set	46.00
28	Mayo's Scissors Traight	Each	45.00
29	Mayo's Scissors Curved	Each	35.00
30	Dressing Forceps S.S.	Each	14.70
31	Dressing Forceps S.S.	Each	6.90
32	B.P. handle S.S.	Each	6.00
33	Electric Sterilizer S.S.	Each	350.00
34	Dressing Drum S.S. round 20 gauge	Each	285.00
35	Firing Iron Set (Conical, Line, Pin)	Each Set	55.00
36	Ointment slab porcelain	Each	50.00
37	Spatula PVC	Each	7.00
38	EI jar with lid	Each	53.00
39	Scissors S.S. Straight	Each	24.00
40	Orthopedic Saw S.S.	Each Set	65.00
41	Adjustable (Detachable) Blade	Each	2.50
42	Thermos S.S. Double insulated	Each	162.00
43	EI Jug	Each	112.00
44	Vaccine Carrier WHO/UNICEF Specification 0.80 Ltr.	Each	650.00
45	Clinical Thermometer	Each	30.00
46	Cover Slip Round/Square Free from brittleness	10 gm pack	25.00
47	Glass Slides Free of britillness	50X1 pack	70.00
48	Automatic Vaccinator	Each	500.00
49	Intra medullary Bone Pins	Each	30.00
50	Chuck with key (Orthopedic) S.S.	Each Set	148.00
51	Needle Holder	Each Set	50.00
52	Tail Docking Machine	Each	80.00
53	Electric Dehorner	Each	53.00
54	Insulated Sample Carrier	Each	125.00
55	Gray's mouth gags for dogs	Each	70.00
56	Formalin Chamber with 100 formalin tablets	Each	700.00
57	Electrict Fumigator	Each	5500.00
	Total		**40000.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

5- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर

पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195 /दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessmant कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0304-कृषि विकास के लिए सम्वर्गीय क्षेत्र की पूजीगत योजनायें के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-616/दस-2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं**0-3460(1)/12-3-2013-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- संबंधित कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कैसरबाग, लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in